

कार्यालयः
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद
अखिल प्रवेश (अध-नव)

संख्या: प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

दिवस: दिनांक 15-5-2019

कार्यालय द्वारा

राष्ट्रीय मातृशिक्षा कार्यक्रम शिक्षा परिषद द्वारा संविधान सभ 2019-20 हेतु विद्यार्थी वर्गों में राजकीय शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 1986 संसद के सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, 1986 अखिल प्रवेश की अधिसूचना में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभ 2019-20 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ति की संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/पाठ्यक्रम/प्रवेश समिति सुविधा/अन्य हेतु सभ 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सभ के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के 14-5-19 में विद्यार्थी वर्ग वर्गों को पाठ्यक्रम संश्लेषित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव दिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सभ विचार विमर्श का निष्कर्ष निम्नलिखित किया गया -

“ऐसी नवस्थापित विद्यालय इन शर्तों पर स्थापित जिन्हें सभ 2019-20 हेतु एम्प्लॉयमेंट सीटीआईए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पीटीसीआईए द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त एम्प्लॉयमेंट सीटीआईए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम सभ 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं निश्चय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पीटीसीआईए अनुमोदन पर प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कंप्यूटिजेशन में सम्मिलित कराया जा सके।”

उक्त निष्कर्षानुसार समिति सभ के परिषद की अनुमोदन समिति एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किया गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 1986 संसद द्वारा सभ 2019-20 हेतु विद्यार्थी वर्गों को अर्थात् पाठ्यक्रम एवं प्रदान कीये गये प्रवेश समिति हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

| क्र. सं. | संस्था सं. सं. | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | एम्प्लॉयमेंट सीटीआईए/पीटीसीआईए द्वारा सभ 2019-20 में अनुमोदित पाठ्यक्रम | परिषद द्वारा सभ 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश समिति |
|----------|----------------|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2019 | एन पीएच. जगत विद्यालय द्वारा नया कार्यालय, अखिल प्रवेश समिति, अखिल अध्यापक, अखिल 2019 | विद्यार्थी वर्ग (राष्ट्रीय) | हां | हां |

सम्बद्धता हेतु नोट

- ✓ सभ एम्प्लॉयमेंट सीटीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करना।
- ✓ सभ अखिल प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एन 1986 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विद्यार्थी वर्गों के लिए एक नया निर्णय विषय में नई शर्तों का अनुमोदन करके प्राप्त सुन्य निर्धारित शर्तों द्वारा निर्धारित सुन्य तीन वर्षों द्वारा पाठ्यक्रमों हेतु एन 2019-20 में परिषद को नया कार्यकारी पाठ्यक्रम हेतु एन 2019-20 में परिषद एवं एन 1986 की नवीन पाठ्यक्रमों (एन नवीन कार्यकारी पाठ्यक्रम के अधिनियम) हेतु एन 2019-20 में निर्धारित सुन्य की शर्तों का पालन हो पाया बिना अर्थात् नवीन

(एक लाभदायक होना) भील मिशनरी समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु भील का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो भील की सर्विसाल भी लागू होगी।

- ✓ संस्था को (सबसे प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा पत्र समितियों, सचिवों को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2010 की धारा का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिनांक जारीगा। सीटों में विसर 18 करने की स्थिति में कालर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की जायेगा। की जायेगी।
- ✓ संस्था को स्वयं-समर्थ पर निर्मित आसनादेश के अनुपाल निम्नलिखित एवं सम्बद्धता सुलभ गत कराना होगा।
- ✓ संस्था को एज्युकेशनल/टीचिंग / पीरिडिकल/सेवा से सम्बन्धी सब हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था कालर प्रदेश सरकार द्वारा कालर परी-विधि/सिखी/अभियोग/आसनादेशों/सिखी एवं निदेशक, अधिष्ठाता शिक्षा, कालर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रवेश एवं प्राथमिक शिक्षा परीक्षा, कालर द्वारा कालर परी-विधि, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को किये साथ होगी।
- ✓ किलोका इन कार्गो माध्यमक की संस्था की सी.सी.आई. नई दिल्ली में अनुपालन प्राप्त करने में आवश्यक राशी है तो इस संस्था में समस्त आवश्यकता संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था का प्रशासकी होगी। अधिष्ठाता शिक्षा परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, अधिष्ठाता शिक्षा निर्देशक एवं अधिष्ठाता शिक्षा शिक्षा प्रमुख प्रवेश परीक्षा कालर को कोई भी कार्य करने किया जाता है एवं कालर परी-विधि में या, आवश्यकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ किलोका इन कार्गो माध्यमक-संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, कालर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुपालन प्राप्त होने के पूर्व पीरिडिकल/सेवा से अनुपालन प्राप्त एवं परिशिष्ट कार्यवाही को पालन करना होगा संस्था एवं प्रवेश की (अनुपालन के सम्बन्ध में अथवा संस्था का परी-विधि प्रवेश) अनुपालन नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ कालर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आदेश विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिपूर्ति, कालर, कालर-सम्बन्ध, आवश्यकता प्राप्त किया जाने कालर सुलभ, आवश्यकता सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियोग हेतु अनुपालन मातामता उपलब्ध करने के साथ पैरिडिकल/सेवा से सम्बन्ध में समस्त आवश्यकता-अथवा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का पुनर्निर्माण को तो कि संस्था में प्रशासित/संचालित माध्यमक को करनी जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध करनी परी अधिष्ठाता, पुन-समर्थ, कर्गो, आवश्यकता इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य माध्यमक के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिष्ठाता को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपलब्ध का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो कालर संस्था की सम्बद्धता संस्था किये जाने की अनुपालन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का पालन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/आवक कार्यवाही की जायेगी।

(का आदेशों सिंह)
सचिव

पुणवर्त-परीक्षा/परिष्ठाता सम्बद्धता/2020/1872-2141

15 दिनांक 15-08-2020

परीक्षित-अध्यापक/निदेशक, कालर भील कालर मातृका इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, गिरीज एच रोड- रेलीय, कालर/सेवा, सीतापुर।

(का आदेशों सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

| संस्था का कोड एवं नाम : 2054-MADAN MOHAN LAL MEHOTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RESORA KANWAKHERA, SITAPUR-261001 | | | |
|--|---------------------|--|---|
| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/ छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✔ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✔ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✔ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✔ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✔ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✔ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✔ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MADAN MOHAN LAL MEHOTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RESORA
KANWAKHERA, SITAPUR-261001



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव